

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Approach/146661/2021

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	जांजगीर-चौपा
(iii)	वन प्रभाग	जांजगीर-चौपा वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1.18 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.6
2	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.एफ. आर. एल.-2 भी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 भी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
3	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण नहीं होगा।
4	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंदर है।
5	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	आवेदित क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बांध, हाथी कॉरीडोर आदि वर्तमान में स्थित नहीं है और न ही प्रस्तावित है।
6	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	आवेदित क्षेत्र में कोई भी वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।
7	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक आवेदित क्षेत्र में स्थित नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	

	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	प्रस्ताव अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली 1.18 हेक्टेयर वनभूमि के समतुल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि का क्रय आवेदक संस्थान द्वारा जिला- जांजगीर-चांपा, तहसील- अकलतरा, राजस्व निरीक्षक मंडल- कोटगढ़, प.ह.न. 10 ग्राम-बम्हनी अंतर्गत कर लिया गया है। जिसका खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-		
		खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
		17/2 में से	0.405	निजी भूमि
		17/3	0.809	निजी भूमि
		कुल रकबा (हे. में)	1.214	
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	संलग्न।		
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न।		
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न।		
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	संलग्न।		
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।		
12	विभाग/जिला प्रोफाईल			
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	446674.000 हेक्टेयर		
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	25006.600 हेक्टेयर		
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	302.855 हेक्टेयर		
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	4.541 हेक्टेयर		
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।			
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसित		

दिनांक : 09/10/2024

स्थान : जांजगीर-चांपा

उप वन मंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा (उ.न.)

श्रीमती प्रियंका पाण्डेय
(मा.व.से.)

वन मंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमंडल,
जांजगीर - चांपा वनखण्ड

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, चांपा